# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1050/2007

श्री एन. के. शर्मा,
द्वारा–श्री आर. सी. तिवारी,
शिक्षक, लाखेनगर ढाल,
अश्वनी नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पं0 रविशंकर शुक्ल
विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
( दिनांक 09 जून 2008 )

अपीलार्थी श्री एन. के. शर्मा के द्वारा जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दिनांक 25–07–2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी अधिकारियों के संबंध में 04 बिन्दुओं पर जानकारी माँगी। स्पष्ट जानकारी प्राप्त न होने पर तथा प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर कुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश आवेदक को प्राप्त न होने के फलस्वरूप द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की गई।

2/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। दिनांक 17–03–2008 को आयोग के द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित किया गया कि वह वांछित जानकारी के लिये प्रतिअपीलार्थी के समक्ष जाकर जानकारी चर्चा कर प्राप्त कर लें। अपीलार्थी, जन सूचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा जानकारी चाही गई थी कि रविशंकर विश्वविद्यालय में कार्यरत कौन–कौन से तकनीकी अधिकारी सीधी भरती से पद धारण किये हैं। इनका वेतनमान 8000–13500/– का होने के पश्चात् भी बजट में इन्हें तृतीय श्रेणी में क्यों रखा गया है तथा क्या यह लिपिकीय त्रुटि है या इसमें सुधार किया जा रहा है। स्वीकृत बजट में तकनीकी अधिकारी एवं वेतनमान तथा सेटअप की प्रति भी चाही गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 01–08–2007 को अपीलार्थी को सूचित किया गया कि तकनीकी अधिकारी की सीधी भरती नहीं की गई है, वास्तविक पद वरिष्ठ तकनीकी सहायक है तथा वर्तमान में 10 वरिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यरत है, जिन्हें कि तकनीकी अधिकारी का पदनाम दिया गया है। उक्त पद विश्वविद्यालय परिनियम–31 के अंतर्गत तृतीय श्रेणी में है। पद का वेतनमान 8000–13500/–रुपये है तथा अपीलार्थी को सेटअप की सत्यापित प्रति दी

गई है। दी गई जानकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी तो दिनांक 25—09—2007 को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी में त्रुटि सुधार कर बतलाया गया कि पं0रविशंकर विश्वविद्यालय में सीधी तकनीकी अधिकारी से भरती नहीं की गई है, इनको तकनीकी अधिकारी का पदनाम दिया गया है। वर्तमान में 10 तकनीकी अधिकारी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय परिनियम—31 में तकनीकी अधिकारी के पदनाम का उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी को तकनीकी अधिकारियों के योग्यता दर्शाने वाले Annexure-VI की प्रति दी गयी। इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय में तकनीकी अधिकारी का पद लेक्चरर के समकक्ष है। सेटअप की प्रतिलिपि में वरिष्ठ तकनीकी सहायक/तकनीकी अधिकारी का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27—11—1997 में तकनीकी अधिकारी के लिये एम.टेक की उपाधि की अर्हता मान्य की गई है। अपीलार्थी को ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारी में विश्वविद्यालय में तकनीकी पद पर कार्यरत व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची दी गई, जिसमें कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत 08 व्यक्तियों के नाम दिये गये। अपीलार्थी का यह कथन है कि इस प्रकार अपीलार्थी को भ्रामक जानकारी दी गई। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से तकनीकी अधिकारियों के बारे में जानकारी माँगी थी। किन्तु उसे एक बार जानकारी देने के बाद संशोधित किया गया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि तकनीकी अधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी का है न कि तृतीय श्रेणी का। यू.जी.सी. मापदण्ड के अनुसार यह पद द्वितीय श्रेणी का बतलाया गया है। अतः दी गई जानकारी सही नहीं है। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

**3/** उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी सही रूप में नहीं दी गई है तथा उसमें संशोधन कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा पारित प्रस्ताव में तकनीकी अधिकारी की योग्यता एम. टेक निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में यह पद तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत किस प्रकार निर्धारित किया गया।

**4/** प्रतिअपीलार्थी के द्वारा सही जानकारी न देने के फलस्वरूप अपीलार्थी को जो मानसिक/आर्थिक कष्ट हुआ है, उसके लिये प्रतिअपीलार्थी के द्वारा 400/—रुपये (चार सौ रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति दी जावे तथा 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को तकनीकी अधिकारियों के संबंध में माँगी गई सही जानकारी प्रदान की जावे।

**5/** उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त